राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.1(66)नविवि/जोधपुर/2015 जयपुर, दिनांक 14 MAR 2018

सचिव,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

विषयः- दिनांक 19 सितम्बर,2017 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जिला कलक्टर, जोधपुर एवं सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक के क्रम में ।

संदर्भः- आपका पत्र क्रमांक/एसपीए/सचिव/2017/12630-1271 दिनांक 11.10.2017

महोदय,

भूमि आवंटन के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं भूमि आवंटन नीति 2015 के क्रम में राज्य सरकार के सक्षम से लिए गये निर्णयानुसार निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते हैंः-

1-राजकीय संस्था यथा अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत, विद्यालय, आंगनबाडी केन्द्रों को जो भूमि निःशुल्क आवंटित की जाती है, उसकी लीज डीड के संबंध में विभाग के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/02 दिनांक 04.08.2008 के द्वारा लीज राशि से मुक्ति प्रदान की गई है । ऐसे प्रकरणों में तदनुसार कार्यवाही की जावे ।

2- निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर निर्मित विद्यालयों की सूची तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाई जावे । राज्य सरकार को ऐसी सूची प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित हो सकेगी।

3- राजकीय विभागों को भूमि आवंटन करने के प्रकरणों में मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही उन्हीं प्रकरणों में की जावे जो व्यापक जनहित के हों इस हेतु विधिवत प्रक्रिया/निर्देशों की पालना हो । किसी सामान्य प्रकरण या व्यक्तिगत हित के प्रकरणों में कार्यवाही नहीं की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1-विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2-रक्षित पित्रावली

13/3/18
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम